संख्या-723/2025/8478/नौ-5-2024/001-Comp. No-1858864

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चन्दौली।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 12 मार्च, 2025

विषयः- जनपद-चन्दौली के ग्राम रौना परगना मवई तहसील पं0 दी0द0उपा0 नगर में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0) निर्माण के लिए भूमि क्रय किये जाने हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2720/सात-स0भू0अ0/2024-25 दिनांक 14.11.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-चन्दौली के ग्राम रौना परगना मवई तहसील पं0 दी0द0उपा0 नगर में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0) निर्माण के लिए भूमि क्रय किये जाने हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव रू**0 36,18,000.00 (रुपये छत्तीस लाख अठारह हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए समस्त धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय एतदद्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31.03.2025 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

(5) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 36,18,000 (रुपये छत्तीस लाख अठारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217058001000 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं हेतु भूमि के क्रय हेतु अनुदान **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

-2-

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
12.03.2025

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

<u>संख्या-**723/2025/8478**/नौ-5-202**4/001-Comp. No-1858864**, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2-महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3-राज्य मिशन निदेशक (अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।
4-मण्डलायुक्त, वाराणसी।
5-निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
6-प्रबन्ध निदेशक, उत्तनर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण/नगरीय), लखनऊ।
7-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
8- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ ।
9- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, (नगरीय), लखनऊ।
10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11- वरिष्ठ अधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
12- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दीनदयाल उपाध्याय नगर, जनपद-चन्दौली।
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
14- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
15- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
12.03.2025

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A009-20242025-Reapp-1858864-3

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024—25 में 'नगर विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं हेतु भूमि के क्रय हेतु अनुदान' हेतु पुनर्विनियोग का प्रस्ताव।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2217808000800 (नगर पालिका परिषद, मऊ जनपद-मऊ में स्वतंत्रता सेनानियों / शहीदों की स्मृति में सभागार का निर्माण)	35 (पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान)	15,00,00,000 रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र	15,00,00,000 रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र	-36,18,256 रुपये छत्तीस लाख अठारह हजार दो सौ छप्पन मात्र	-	-	2024-2025

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2217058001000 (नगर विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं हेतु भूमि के क्रय हेतु अनुदान)	35 (पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान)	16,37,11,000 रुपये सोलह करोड़ सैंतीस लाख ग्यारह हजार मात्र	36,18,256 रुपये छत्तीस लाख अठारह हजार दो सौ छप्पन मात्र	-	-	2024-2025

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) सतम्भ-1 में अंकित लेखाशीर्षक 2217808000800 में परिपक्त प्रस्ताव प्रापत न होने के कारण बचत हो रही है।

(2) सतम्भ-1 में अंकित लेखाशीर्षक 2217058001000 में आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रसताव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रसतर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर.ई.संख्या–बजट-1- 517, दिनाँक 11.03.2025

सेवा में,
महोलेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक।

संख्या-723/2025/8478/नौ-5-2024/001-Comp. No-1858864 दिनाँक 11.03.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।
5- सहायक निदेशक (लेखा) नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-12/03/2025

प्रेषण संख्या:- 723
आवंटन आदेश संख्या:- 001-723-2025-8478-9-5-2024-001-CN-1858864
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - अन्य शहरी विकास योजनाये
800 - अन्य व्यय
10 - नगर विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं हेतु भूमि के क्रय हेतु अनुदान

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	चन्दौली-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3618000 39366150	3618000 39366150
	योग	वर्तमान प्रगामी	3618000 39366150	3618000 39366150

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छत्तीस लाख अठारह हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ तिरानवे लाख छियासठ हजार एक सौ पचास

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव